छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>*अपील प्रकरण कमांक 577/2007*</u>

1.	**श्री बलभद्र सिंह तंवर,** **ग्राम+पोस्ट- नुरेरा,** **तहसील-पाली,** **जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)**	-	*अपीलार्थी*

विरूद्ध

1.	*जन सूचना अधिकारी,* **ग्राम+पोस्ट- नुरेरा,** **तहसील-पाली,** **जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)**	-	*प्रति अपीलार्थी*

//<u>आदेश</u>//
(दिनांक 31 मार्च, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री बलभद्र सिंह तंवर ने दिनांक 08.12.2006 को प्रति अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत, नुरेरा के समक्ष जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समक्ष दिनांक 25.01.2007 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर भी कोई आदेश पारित नही करने के कारण अपीलार्थी द्वारा असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 13.06.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण में उभय पक्ष की सुनवाई की गई और दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को का अवलोकन किया गया । प्रकरण में पूर्व में दीमक से रिकार्ड नष्ट होने संबंधी जानकारी भेजने पर अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार करना बताया गया है और निःशुल्क निरीक्षण भी कराया गया है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी से भी इस संबंध में जांच प्रतिवेदन बुलाया गया और प्रतिवेदन में दीमक से रिकार्ड नष्ट होने की बात बताई गई है, किन्तु दिनांक 15.12.1999 का प्रस्ताव माँगा गया था और वह उपलब्ध नही होना बताया गया, इस संबंध में ग्रामवासी का पंचनामा भी संलग्न करके भेजा गया है । सरपंच ने ग्राम पंचायत का रिकार्ड नष्ट होने संबंधी थाना पाली में रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है, किन्तु बाद में थाना प्रभारी, पाली को बुलाया गया था और

उनके द्वारा लिखित प्रतिवेदन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि उनके यहाँ इस संबंध में कोई सूचना दर्ज नही पाई गई है । उपरोक्त स्थिति से सरपंच द्वारा समस्त रिकार्ड के नष्ट होने के संबंध में पूरी स्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है । अपीलार्थी ने मौखिक तर्क में यह बताया कि उन्होंने जिस प्रमाणीकरण प्रस्ताव के बारे में जानकारी चाही थी, उसमें फर्जी कार्यवाही की गई थी जिसे छिपाने के लिए उस रिकार्ड को नष्ट होना बताया जा रहा है और वह रिकार्ड वास्तव में दीमक से नष्ट नही हुआ है बल्कि गायब किया गया है तथा पक्के मकान में दीमक नही लगती है । उपरोक्त स्थिति में दीमक लगने की पूरी बात संदेहास्पद प्रतीत होती है, अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कोरबा को इस संबंध में निर्देश दिये जाते हैं कि वे सरपंच और अपीलार्थी दोनों को बुलाकर स्वयं इस मामले में बारीकी से जांच करे और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचे और यदि रिकार्ड मिल जाता है तो उसकी जानकारी अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदान की जावे । इस संबंध में यदि सरपंच दोषी पाया जाता है तो उनके विरूद्ध पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही की जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थीगण को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की ओर से प्रत्येक को राशि 500/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील का निराकरण किया जाता है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त